

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर०ए०एस०)

अपील संख्या :- 57/2017 (223 आर०टी०एक्ट०)

आरसीएमएस संख्या :- 2017/00222

उनवान

अधिशाषी अभियंता राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) वाडी रोड  
धौलपुर जरिये प्रमोद कुमार पाठक पुत्र श्री गुरुदत्त पाठक उम्र करीब 56 साल जाति ब्राह्मण।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमती वेवी गुप्ता पत्नि श्री राजीव गुप्ता जाति वैश्य निवासी पुराना शहर धौलपुर।
2. श्रीमती गिरजेश पत्नि दीपक उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी खिडकी मौहल्ला पुरा शहर  
धौलपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 05.07.2017 प्रकरण  
संख्या 046/2015 उनवान वेवी गुप्ता बनाम  
अधिशाषी अभियंता न्यायालय उपखण्ड अधिकारी  
धौलपुर।




उपस्थित :-

1. श्री गजेन्द्र सिंह राजकीय अभिभाषक।
2. श्री किशन सिंह त्यागी अभिभाषक रैस्पो०।

निर्णय

दिनांक :-01.11.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय दिनांक 05.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो० ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 436/396 रकवा 01 बीघा 10 विस्वा ग्राम फतिहाबाद के वादी/रैस्पो० खातेदार एवं आधिपत्यधारी हैं। विवादित आराजी से प्रतिवादी/अपीलाण्ट का कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही किसी उद्देश्य से अवाप्त किया है ना ही प्रस्तावित है। प्रतिवादी जबरन विवादित आराजी में से अपनी सुविधा अनुसार सीधे पूर्व से पश्चिम बीचों बीच सीवरलाईन के पाईप जमीन में खोदकर डाल रहे हैं। वादी/रैस्पो० ने जब उन्हें रोका तो वह साफ इंकारी हो गये। यदि प्रतिवादी को उक्त कार्य से नहीं रोका गया तो वह अपने मकसद में कामयाब हो जायेंगे व विवादित आराजी कृषि योग्य नहीं रहेगी। अतः वाद प्रस्तुत कर डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.07.2017 से डिक्री कर दिया।

  
न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
धौलपुर कैम्प-धौलपुर


उक्त निर्णय से व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोंडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।
3. विद्वान अभिभाषक पैरोकार सरकार ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के जवाब दावा प्रस्तुत करने के उपरान्त भी दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम नहीं की गयी है। जबकि जवाब दावा प्रस्तुत होने पर तनकीयात कायम करना विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रैस्पोंड द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य व गवाह आदि प्रस्तुत नहीं किया है एवं ना ही किसी गवाह का कोई शपथपूर्वक कोई बयान ही हुआ है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा स्वतंत्र गवाह के दावा वादी/रैस्पोंड डिक्री किये जाने की कानूनी गलती की है। सीवर लाईन लोकप्रयोजन के लिये जनहित में डाली गयी हैं। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।



रैस्पोंड के विद्वान अभिभाषक ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। रैस्पोंड विवादित आराजी के खातेदार हैं जिसमें अपीलाण्ट द्वारा मना करने के बाबजूद जबरदस्ती सीवर लाईन डाल दी है व चैम्बर का निर्माण कर दिया है। जबकि अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जाँच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।


5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रकरण में इस तथ्य बावत् कोई विवाद नहीं है कि रैस्पोंड विवादित आराजी के खातेदार हैं। अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने जवाब दावा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनके द्वारा रैस्पोंड की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 436/396 में सीवर लाईन का पाईप डाला है एवं चैम्बर का निर्माण किया है। यह सही है कि वर्तमान में सीवर लाईन का कार्य पूर्ण हो चुका है। परन्तु किसी खातेदार की भूमि में बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये सीवर लाईन का कार्य किया जाकर संबंधित हितधारी को नुकसान पहुँचाये जाने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः वादी/रैस्पोंड अपनी भूमि में हुये नुकसान की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। यह सही है कि सीवर लाईन लोकप्रयोजन के लिये जनहित में डाली गयी है। परन्तु अपीलाण्ट को किसी भी भू स्वामी की भूमि में बिना उसकी अनुमति अथवा विधिवत अवाप्ति कार्यवाही किये बिना इस प्रकार सीवर लाईन डालने का कोई

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
कैम्प-धौलपुर

अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने उचित ही रैस्पोंड के क्षतिपूर्ति अभ्यावेदन प्राप्त होने पर विभाग को तीन माह में निस्तारण करने के आदेश दिये हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को किसी भी प्रकार विधि की मंशा के विपरीत नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलान्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैंशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 01.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(अखिलेश कुमार पिपल)  
कार्या० भू प्रबन्ध अधिकारी  
पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
भरतपुर कैम्प धौलपुर

डिकरी व मुकदमे इत्तादाई  
(ऑर्डर 20 , रूल 6-7, जाब्ता दीबानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix D&1)

अज अदालत भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर मुकाम कैम्प धौलपुर  
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या:- अपील संख्या-57/2017 (223 आर.टी.एक्ट.)

1. अधिशाषी अभियन्ता राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डबलपमेन्ट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी), बाडी रोड धौलपुर जरिये प्रमोद कुमार पाठक पुत्र श्री गुरुदत्त पाठक उम्र करीब 56 साल जाति ब्राह्मण।  
.....अपीलांत।


बनाम

1. श्रीमती बेबी गुप्ता पत्नि श्री राजीव गुप्ता जाति वैश्य निवासी पुराना शहर धौलपुर।  
2. श्रीमती गिरजेश पत्नि दीपक उपाध्याय जाति ब्राह्मण निवासी खिडकी मौहल्ला पुरा शहर धौलपुर।  
..... रेस्पोंडेंट।

अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 उपखण्ड  
अधिकारी, धौलपुर दिनांक 05.07.2017 प्रकरण संख्या  
046/2015 उनवान बेबी गुप्ता बनाम अधिशाषी  
अभियन्ता।

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी अपीलांत राजकीय अभिभाषक श्री गजेन्द्रसिंह  
मिनजानिब मुदई व रेस्पोंडेंट अधिवक्ता श्री किशनसिंह त्यागी मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुकम दिया जाता  
है व डिकरी दी जाती है कि. अपील अपीलांत खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड  
अधिकारी, धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.07.2017 यथावत रखे जाते हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....01.....माह.....11.....सन्.....2021.....को



दस्तखत.....  
.....  
औहदा.....  
.....

	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुकमनामा		
बाबत् इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।